

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 1441/2009/सीकर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन-प्रथम,अलवर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कोमल प्रसाद पुत्र श्री हंसराज सैनी

दिवराला,श्रीमाधोपुर

प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या 1443/2009/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन-प्रथम,अलवर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लिमिटेड

श्यामपुर (बहरोड) द्वारा

मैसर्स कनोडिया एण्टर प्राइजेज,दिल्ली

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री विनय गोयल

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 26.08.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 86 एवं 87/आरवैट/एनआरडी/2007-08 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 18.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। उपरोक्त दोनों अपीलों विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जायें।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, अलवर द्वारा दिनांक 08.08.2007 को नीमराना मार्ग, शाहजहांपुर गांव के पास वाहन संख्या आर.जे.14/2जी-6845 को चेक करने पर उसमें लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने जी आर संख्या 669 दिनांक 07.08.2007 मैसर्स श्याम कारगो मूवर्स,बिलासपुर दिल्ली एवं मैसर्स कनोडिया एण्टरप्राइजेज,दिल्ली बिल नम्बर 4656 दिनांक 07.08.2007 जांच हेतु प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर स्पष्ट हुआ है कि दस्तावेजों में किनकी (नाकू) कैंटल फीड कीमत रु. 2,18,979/-दर्शायी हुई है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार दस्तावेजों में अंकित माल कर योग्य होने के बावजूद उसे कर योग्य दर्शाया गया है,जिससे गलत माल की घोषणा की गई इसलिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर

अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल के आयातकर्ता मैसर्स ग्लोबल एरोनिक्स लिमिटेड, श्याम बहरोड कको नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में बताया गया कि आयातकर्ता पंजीकृत व्यापारी है तथा आई एम एफ एल (कर मुक्त) के निर्माता है एवं खरीदा गया माल किनकी मानव उपयोग हेतु नहीं होकर वह पशु चारा है, जो कर मुक्त है इसलिए आयातित माल आईएमएफएल निर्माण हेतु कच्चा माल है तथा अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित सभी दस्तावेज माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये एवं वैट-47 संख्या 1045311 भरा हुआ प्रस्तुत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित कर योग्य माल को कर मुक्त माल दर्शाकर गलत घोषणा कर, कर चोरी की नियत से चेक पोस्ट से बचाकर वाहन को प्रवेश कराने का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 65,694/- एवं अधिनियम की धारा 76 (11) के तहत माल की कीमत रु. 2,18,979/- पर 50 प्रतिशत की दर से रु. 1,04,490/-की शास्तियों आरोपित की। उक्त शास्तियों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने करापवंचन का दोषी मनोभाव नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 65,694/- एवं अधिनियम की धारा 76 (11) के तहत आरोपित शास्ति रु. 1,04,490/-को अपास्त कर अपीलाधीन संयुक्त आदेश दिनांक 18.03.2009 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवहनित माल को कैंटल फीड (का मुक्त) दर्शाया गया जबकि भौतिक रूप से देखने पर वाहन में कम गुणवत्ता के चावल परिवहनित करना पाया गया। उनका कथन है कि परिवहनित माल चावल अधिसूचित वस्तु है, जिसके आयात के लिए घोषणा पत्र वैट-47 होना अनिवार्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य माल को कर मुक्त दर्शाकर गलत घोषणा से माल का परिवहनित पाये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन प्रमाणित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, वह विधिक है।

उनका कथन है कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन प्रभारी द्वारा शाहजहांपुर चेक पोस्ट बचाकर



बावल-मिर्जापुर-शाहजहांपुर मार्ग नेशनल हाईवे के समानान्तर लिंक रोड से वाहन को कर योग्य माल सहित राज्य में पेश करवाया जाना पाये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) का उल्लंघन प्रमाणित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अधिनियम की धारा 76 (11) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (11) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति शास्तियों को अपास्त किया है, जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल कर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल किनकी को कैंटल फीड नहीं मानकर कम गुणवत्ता का चावल मानकर उसे कर योग्य मानकर एवं चेक पोस्ट से बचाकर माल का परिवहन करने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (11) के अन्तर्गत शास्तियों आरोपित की गई है, जो तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ अधिनियम के विहित वांछित समस्त दस्तावेज वक्त जांच कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिनको किसी भी जांच से मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित किये बिना शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी एक पंजीकृत फर्म है एवं कर मुक्त आई एमएफएल का निर्माता है एवं फर्म द्वारा कर की गई किनकी मानव उपयोग हेतु नहीं है एवं यह पशु चारा रेक्टिफाईड स्पीरिट व आईएमएफएल बनाने के काम आता है। उनका कथन है कि वाहन पक्के रास्ते से श्यामपुर (बहरोड) जा रहा था तथा वाहन के साथ समस्त दस्तावेज मौजूद थे, उसके बावजूद भी प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात बिना उन्हें मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित किये एवं बिना करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो पूर्णतः अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त-1, जयपुर बनाम मैसर्स पदम प्रभू मार्केटिंग सर्विस, लाल कोठी, जयपुर निर्णय दिनांक 10.04.2006 (टैक्स अप डेट वाल्यूम 15 पार्ट 3 पेज 115 एवं कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1061 / 2008 / अजमेर



सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय वृत्त- करापंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स मालवा आर्यरल स्टोर, अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग परिवहनित माल को कर योग्य होने के बावजूद कर मुक्त दर्शाना एवं वाहन को गलत रास्ते लाना मानकर अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (11) के अन्तर्गत शस्तियों आरोपित की है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) प्रावधानों का उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

**76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. – (1) The Commissioner may, with a view to prevent or check avoidance or evasion of tax, by notification in the Official Gazette, direct the setting up of a check-post or the erection of barrier or both, at such places as may be specified in the notification, and every officer or official who exercises his powers and discharges his duties at such check-post or barrier by way of inspection of documents produced and goods being moved shall be its Incharge.**

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

अधिनियम की उक्त प्रावधानों के अनुसार वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी, चालान एवं घोषणा पत्र आदि होने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरणों में वक्त चेकिंग वाहन चालक/ माल प्रभारी द्वारा बिल नम्बर 4656 दिनांक 7.8.2007 एवं जी आर 669 दिनांक 07.08.2007 तथा नोटिस के जवाब में घोषणा प्रपत्र वैट-47 संख्या 1045311 आदि दस्तावेजों प्रस्तुत किये गये हैं, जिनको किसी भी जांच से मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 76 (2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किस प्रकार हुआ यह समझ से परे है।



हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया है कि कर योग्य माल को कर मुक्त एवं अधिनियम की धारा 76(11) के अन्तर्गत शास्ति इस आधार पर आरोपित की है कि चेक पोस्ट को पर दूसरे रास्ते से वाहन को ले जाया गया है।

जहां तक प्रश्न है कि माल कर योग्य था जिसको कर मुक्त दस्तावेजों में दर्शाया गया है,जिससे करापवंचन की मंशा प्रमाणित होती है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन वृत्त-1, जयपुर बनाम मैसर्स पदम प्रभू मार्केटिंग सर्विस, लाल कोठी, जयपुर निर्णय दिनांक 10.04.2006 (टैक्स अप डेट वाल्यूम 15 पार्ट 3 पेज 115 का निर्णय उद्धृत किया गया है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

This Court is of the clear opinion that the provisions of Section 22A (7) of the Act of 1954 (Old Act) corresponding to Section 78(5) of the R.S.T. Act, 1994 (New Act), the jurisdiction of Anti Evasion Authority, checking the goods and transit the documents is limited to verification of the documents prescribed under the Act or Rules and it does not empower such authorities to embark upon the equity of the nature as done in the present case as to whether on a finer or deeper analysis for deciding the fixed question of facts and law as to whether the commodity would fall in one entry or the other attracting different rates of tax or one attracting the tax and the other relating to exemption from tax. This is the job of the regular Assessing Authority who while undertaking the regular assessment proceedings is entitled to initiate such enquiry upon the material brought before and is entitled to decide such questions. The Anti Evasion Authority while checking the goods and vehicles and also the relevant document cannot embark upon such enquiry at all unless there is total wrong declaration of goods and the goods do not tally or identify with the documents accompanying such goods or vehicles and if such a case appears before the Anti Evasion Authority, he can prima facie hold such documents to be false or irrelevant and thereby get a jurisdiction to initiate the penalty proceedings under the aforesaid provisions but if the goods apparently tally or identify with the description given in the documents accompanying such goods and the vehicle, then such Anti Evasion Authority cannot embark upon the enquiry to decide such mixed questions of law and facts on a finer or deeper analysis as to whether the commodity would fall in one entry or the other like in the present case, as to whether it was a plastic tapes or cotton tapes as declared by the consignor of the goods in the relevant documents.

उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया गया है कि माल कर योग्य अथवा कर मुक्त है, यह निर्धारित करना नियमित कर निर्धारण अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है। इसी प्रकार का मत कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1061/2008/अजमेर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय वृत्त-




करापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स मालवा आर्येन स्टोर, अंजमेर में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 में प्रतिपादित किया गया है ।

जहां अधिनियम की धारा 76 (11) के अन्तर्गत शास्ति का प्रश्न है, अधिनियम की उपरोक्त धारा में यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि परिवहनित माल से सम्बन्धित वाहन का अमुख रास्ते से ही ले जाया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में वाहन पक्की सडक से ले जाया जा रहा है इसलिए वाहन चालक की मिली भगत होना प्रमाणित नहीं होता है। वैसे भी अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत बनाये गये अभियोग प्रमाणित होने के बाद ही अधिनियम की धारा 76 (11) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अविधिक होने से अधिनियम की धारा 76 (11) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति स्वतः ही निरस्त हो जाती है।

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही विधिक नहीं ठहरती है। दूसरी ओर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (11) के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को विधिक नहीं मानते हुए अपास्त किया है,जिससे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य